न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 51/2023

प्रार्थीगण

1. उमी पत्नि खेमाराम
2. गुणेशाराम पुत्र चेनाराम
3. गुणेशाराम पुत्र खेताराम
4. चैनीदेवी पुत्री देदाराम
5. जेहाराम पुत्र चेनाराम
6. तुलसाराम पुत्र खेमाराम
7. दीपा पुत्र शिवजी
8. धनाराम पुत्र चेनाराम
9. धापूदेवी पत्नि गजाराम
10. नवाराम पुत्र खेमाराम
11. भंवरीदेवी पत्नि खेमाराम
12. मगनीदेवी पत्नि चेनाराम
13. मंगला पुत्र लाला
14. मेघाराम दत्तक पुत्र भूराराम
15. मूला पुत्र शिवजी
16. मानाराम पुत्र खेताराम
17. रेखाराम पुत्र करनाराम
18. राणाराम पुत्र करनाराम
19. वनूदेवी पुत्री देदाराम
20. सुखाराम पुत्र देदाराम
21. सताराम पुत्र देदाराम
22. सवाईराम पुत्र खेताराम
23. हिन्दुराम पुत्र करनाराम जातियान भांभी निवासी ऐवाड़ी चौसीरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. ओमप्रकाश दत्तक आदा
2. टोमा पुत्र देराज
3. मंगला पुत्र देराज
4. कुशलसिंह पुत्र नवाजी
5. पुखराज पुत्र चूना
6. बाबूसिंह पुत्र चूना
7. भूरा पुत्र धना
8. मीठालाल पुत्र नवाजी
9. रावतसिंह पुत्र चूना
10. देवीसिंह पुत्र सवाजी
11. गुमानसिंह पुत्र सवाजी
12. आम्बसिंह पुत्र सवाजी
13. जीवराजसिंह पुत्र सवाजी
14. जबरसिंह पुत्र सवाजी
15. दलपतसिंह पुत्र सवाजी
16. साकूदेवी पत्नि सवाजी जातियान पुरोहित निवासी डण्डाली तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
17. मूलाराम पुत्र केहाराराम
18. नन्दराम पुत्र कुंभाराम पुरखाराम पुत्र मगाराम
19. पुरखाराम पुत्र मगाराम
20. प्रहलादराम पुत्र मगाराम
21. खूमाराम पुत्र मगाराम
22. सिमरथाराम पुत्र मगाराम
23. रूखमो पत्नि मगाराम

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

24. हरजीराम पुत्र तुलसाराम
25. पीराराम पुत्र तुलसाराम
26. कंवराराम पुत्र पूनमाराम
27. गेनाराम पुत्र पूनमाराम
28. रिधुदेवी पत्नि पूनमाराम जातियान जाट निवासी सरेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
29. हुकमाराम पुत्र घमण्डाराम
30. रतनाराम पुत्र घमण्डाराम
31. नानकाराम पुत्र खेमाराम
32. लिखमाराम पु.त्र खेमाराम
33. विरधाराम पुत्र गैनाराम
34. थानाराम पुत्र गेनाराम
35. रामाराम पुत्र पेमाराम जातियान जाट निवासी राणेरी तहसीलन सिणधरी जिला बाड़मेर
36. तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री भंवरलाल सारण, प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 06.07.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत **तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा ऐवाड़ी चौसीरा के खेत खसरा संख्या 2 रकबा 2.0468 हैक्टेयर, खसरा संख्या 63/3 रकबा 5.9421 हैक्टेयर, खसरा संख्या 65/3 रकबा 5.9421 हैक्टेयर कुल रकबा 13.9310 हैक्टयर** खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इसी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत **तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा ऐवाड़ी चौसीरा के खेत खसरा संख्या 2 रकबा 2.0468 हैक्टेयर, खसरा संख्या 63/3 रकबा 5.9421 हैक्टेयर, खसरा संख्या 65/3 रकबा 5.9421 हैक्टेयर कुल रकबा 13.9310 हैक्टयर** की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण के खेत **तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा ऐवाड़ी चौसीरा के खेत खसरा संख्या 2 रकबा 2.0468 हैक्टेयर, खसरा संख्या 63/3 रकबा 5.9421 हैक्टेयर, खसरा संख्या 65/3 रकबा 5.9421 हैक्टेयर कुल रकबा 13.9310 हैक्टयर** आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा **तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा ऐवाड़ी चौसीरा के खेत खसरा संख्या 2 रकबा 2.0468 हैक्टेयर, खसरा संख्या 63/3 रकबा 5.9421 हैक्टेयर, खसरा संख्या 65/3 रकबा 5.9421 हैक्टेयर कुल रकबा 13.9310 हैक्टयर** की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि **तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा ऐवाड़ी चौसीरा के खेत खसरा संख्या 2 रकबा 2.0468 हैक्टेयर, खसरा संख्या 63/3 रकबा 5.9421 हैक्टेयर, खसरा संख्या 65/3 रकबा 5.9421 हैक्टेयर कुल रकबा 13.9310 हैक्टयर** प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थीगण हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5\. लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर **तहसील सिणधरी पटवार मण्डल कमठाई मौजा ऐवाड़ी चौसीरा के खेत खसरा संख्या 2 रकबा 2.0468 हैक्टेयर, खसरा संख्या 63/3 रकबा 5.9421 हैक्टेयर, खसरा संख्या 65/3 रकबा 5.9421 हैक्टेयर कुल रकबा 13.9310 हैक्टयर** के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 06.07.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी